दस्तावेज़ (Checklist)

ऑन-फार्म हैंडलिंग यूनिट (परियोजना लागत: ₹4.00 लाख)

(गैर-ऋण संबद्ध योजना)

आवेदन चरण

क्र. सं.	दस्तावेज़	मुख्य बिंदु
1	पहचान, पैन एवं किसान पंजीकरण का प्रमाण	आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल (https://dbtagriculture.bihar.gov.in/) पर किसान पंजीकरण का प्रमाण।
2	जिस भूमि पर खेती की जा रही है, उससे संबंधित भूमि स्वामित्व/पट्टा/प्राधिकार दस्तावेज़	भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा पंजीकृत पट्टा/प्राधिकार-पत्र। (पट्टे की न्यूनतम अवधि: 07 वर्ष), (वंशावली, यदि आवेदक के नाम पर भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध हो)।
3	जीविका/PMCS/FPO/FPC की सदस्यता का प्रमाण	आवेदक द्वारा संबंधित जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG), प्राथमिक मखाना सहकारी समिति (PMCS), किसान उत्पादक संगठन (FPOs) अथवा किसान उत्पादक कंपनी (FPCs) की सदस्यता का प्रमाण-पत्र/संबंधित दस्तावेज़ संलग्न किया जाए। सदस्य संस्था/संगठन का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
4	प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा	प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा। (अनुलग्नक-I)
5	चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा तैयार सिविल कार्य का प्राक्कलन	सिविल कार्य की लागत कुल परियोजना लागत ₹4.00 लाख के 25% अर्थात ₹1.00 लाख से अधिक नहीं होगी। शेष ₹3.00 लाख की राशि मशीनरी, उपकरण एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद पर व्यय की जाएगी।

अनुलग्नक-I

प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा

परियोजना/घटक: **ऑन-फार्म हैंडलिंग यूनिट**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____,
निवासी/पंजीकृत पता: ग्राम/नगर _____, प्रखंड
_____, जिला _____, बिहार ने ऑन-फार्म हैंडलिंग यूनिट घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है अथवा आवेदन करने के इच्छुक हैं।

आवेदक निम्नलिखित संस्था/संगठन का सदस्य है:-

☐ जीविका

जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) का नाम: _____

☐ प्राथमिक मखाना सहकारी समिति (PMCS)

PMCS का नाम: _____

☐ किसान उत्पादक संगठन (FPO) / किसान उत्पादक कंपनी (FPC)

FPO/FPC का नाम: _____

☐ अन्य:

_____

संस्था/संगठन का नाम: _____

(उपर्युक्त सदस्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज़ की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें)।

आवेदक पिछले _____ वर्षों से मखाना की खेती में संलग्न है तथा वर्तमान में ग्राम _____, प्रखंड _____, जिला _____, बिहार में _____ एकड़ भूमि पर मखाना की खेती कर रहा/रही है।

प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किए गए स्थल सत्यापन के आधार पर, आवेदक को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की योजना अंतर्गत ऑन-फार्म हैंडलिंग यूनिट के विचारार्थ अनुशंसित किया जाता है। यह अनुशंसा निर्धारित पात्रता मानदंडों, योजना के दिशा-निर्देशों तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।

यह अनुशंसा आवेदक को वित्तीय सहायता की स्वीकृति अथवा राशि जारी किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

BHO	DHO
हस्ताक्षर: _____	हस्ताक्षर: _____
नाम: _____	नाम: _____
प्रखंड उद्यान पदाधिकारी	जिला उद्यान पदाधिकारी
प्रखंड: _____	जिला: _____
दिनांक: _____	दिनांक: _____
	कार्यालय की मुहर